भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की महत्वपूर्ण धाराएं (नं0 49/1988)

धारा 01:– जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर लागू।

धारा 02:– परिभाषा:–

(ब):– **लोक कर्तव्य:**– से आशय है कोई ऐसा कर्तव्य, जिसके निर्वहन में राज्य जनता या समाज को रूचि हैं।

(स):– **लोक सेवक**:– से आशय है:– (1) कोई व्यक्ति, जो किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन हेतु सरकार की सेवा में हो या वेतनाधीन हो अथवा उसे इसके लिए कोई फीस, कमीशन या पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में हो या वेतनाधीन हो।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य की किसी विधि द्वारा गठित किसी निगम, प्राधिकरण या निकाय में कार्यरत हैं, जिसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या उसके नियन्त्राधीन है या कोई शासकीय कम्पनी जैसा की कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 617 में परिभाषित है।

(4) कोई न्यायाधीश, या विधि द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जिसे स्वयं या किसी समूह के सदस्य के नाते न्याय–निर्णयन का कार्य करना हो।

(5) कोई व्यक्ति, जिसे न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा किसी कर्तव्य निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया हो एवं इसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त समापक, प्रापक एवं आयुक्त भी शामिल हैं।

(6) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए दिया गया हो।

(7) निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने या निर्वाचन संचालन करने के लिए सशक्त व्यक्ति।

(8) कोई व्यक्ति, जो ऐसा पद धारण करता है, जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य निर्वहन करने के लिए अधिकृत है।

(9) कोई व्यक्ति, जो किसी पंजीकृत सहकारी संस्था, जो कृषि के उधोग, व्यापार या बैकिंग में कार्यरत है का सचिव, अध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी है।

(10) कोई व्यक्ति, जो किसी सेवाआयोग का चेयरमैन या सदस्य या कर्मचारी है।

(11) कोई व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति या सदस्य है या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी है, जो परीक्षाओं के संचालन से सम्बन्धित हो।

(12) कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी ऐसी संस्था का प्राधिकारी या कर्मचारी है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, या प्राप्त हो चुकी है।

स्पष्टीकरणः– (1) उपरोक्त वर्णित उपखण्डों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ''लोक सेवक'' है चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं।

(2) ''लोक सेवक'' शब्द उस व्यक्ति के संबंध में भी समझा जायेगा, जो लोक सेवक के पद को धारण किया हो, चाहे वह उस पद के धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो।

धारा 3:– विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार।

धारा 4:– विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण।

धारा 5:– विशेष न्यायाधीश के अधिकार एवं प्रकिया।

धारा 6:– संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।

धारा 7:– लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में, वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करना:– यदि कोई लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई पारितोषण या इनाम किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना कोई पदीय कार्य करें या करने से विरत रहे तो वह इस धारा के अन्तर्गत दण्डिनीय अपराध का दोषी है।

दण्ड:– ऐसे कारावास से दण्डित किया जायेगा, जिसकी अवधि पॉच वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो छः माह से कम नही होगा और जुर्माने से भी दण्डिनीय होगा।

धारा 8:– **लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना:**– यह धारा उन व्यक्तियों को भी सजा की परिधी में लाती है, जो लोक सेवक को भ्रष्ट तरीके से प्रभावित करके गलत कार्य कराना चाहते है। उदाहरण के लिए एक एडवोकेट का कार्य अपनी फीस लेकर अपना मुवक्किल के वाद की पैरवी करना होता है परन्तु यदि वह अपने मुवक्किल से पैसा लेकर भ्रष्ट तरीके से अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए जज को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पॉच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 9:– लोक सेवक पर व्यक्तिगत असर डालने के लिए परितोषण का लेना:– जो कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत प्रभाव के प्रयोग द्वारा इस बात के लिए उत्प्रेरित करने हेतु प्राप्त करेगा या सहमत होगा या प्रयत्न करेगा कि वह लोक सेवक अपना पदीय कार्य करें या विरत रहे या कोई अनुग्रह दिखाये या दिखाने से विरत रहे तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पॉच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 10:– लोक सेवक द्वारा धारा 8 व 9 के अपराधों का दुष्प्रेरण का दण्ड:– जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो वह न्यूनतम छः माह अधिकतम पॉच वर्ष एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

धारा 11:– लोक सेवक द्वारा बिना प्रतिफल के अथवा अपर्याप्त प्रतिफल द्वारा मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति:– किसी लोक सेवक द्वारा अपने द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही से सम्बन्धित, किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना या अपर्याप्त प्रतिफल के द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने पर वह इस धारा के अपराध का दोषी होगा।

अर्थात लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से मूल्यवान चीज न ले, जिसका राजकीय कार्यवाही से सम्बन्ध हो। सजा– उपरोक्त

धारा 12:– धारा 7 या धारा 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण:– जो कोई धारा 7 या 11 के अपराध का दुष्प्रेरण करेगा भले ही उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध घटित हो या नही वह उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

धारा 13:– लोक सेवक द्वारा अपराधिक अवचार (दुराचरण):– लोक सेवक आपराधिक अपराध का अवचार करने वाला कहा जाता है– यदि वह

(अ) स्वभावतः धारा 7 में अन्र्तविष्ट अधिकृत कार्य में वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण किसी व्यक्ति से स्वीकार करता है, प्राप्त करता है या स्वीकार करने को सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(ब) यदि वह स्वभावतः धारा 11 में वर्णित बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या ऐसा करने का सहमत होता है या प्रयास करता है।

(स) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौपी गई या अपने नियन्त्राधीन सम्पत्ति का बेईमानी या छल से दुर्वनियोग या अपने प्रयोग में लाता है या किसी अन्य को ऐसा करने देता है

(द) यदि वह–

❖यदि वह भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है या

❖लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूप्रयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करता है।

❖ऐसे लोक सेवक के रूप में पद पर रहते हुए किसी लोक रूचि के बिना (जनहित के बिना) किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन संबंधी लाभ प्राप्त करता है।

(य) यदि उसके या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन संबंधी साधन, सम्पत्ति है, जो उसकी आय के अनुपात से अधिक है, जिसका वह संतोषप्रद रूप से हवाला नही दे सकता अथवा उसकी ज्ञात आय के श्रोतो से समानुपातिक नही है।

उपधारा 2:– आपराधिक दुराचरण करने का दोषी लोक सेवक न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम सात वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 14:– धारा 8, 9 और 12 के अधीन अभ्यास्तः अपराध करना:– जो कोई अभ्यस्तः धारा 8, 9, 12 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है– न्यूनतम दो वर्ष अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से दण्डनीय होगा।

धारा 15– प्रयास के लिए दण्ड:– जो कोई धारा 13 की उपधारा 1 के उपखण्ड स और द में वर्णित अपराध करने का प्रयास करता है वह तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

धारा 17:– विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्तिः– निम्नलिखित रैंक की पंक्ति का पुलिस अधिकारी–

अ– दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में निरीक्षक

ब– बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद तथा अन्य किसी मैंटो पौलेटिन सिटी में सहायक पुलिस आयुक्त।

स– अन्यत्र उपपुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जो पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का न हो वह भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का अन्वेषण तथा वारन्ट के बिना गिरफ्तारी कर सकेगा। परन्तु यह ओर भी के धारा 13 की उपधारा 1 के खण्ड ''य'' में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नही किया जायेगा, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।

धारा 19:– अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का होना आवश्यक:– कोई न्यायालय धारा 7, 10, 11, 13, 15 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, जो लोक सेवक द्वारा किया गया है, निम्नलिखित की पूर्व स्वीकृति के बिना नही कर सकेगा–

1– केन्द्र सरकार

2– राज्य सरकार– ऐसा लोक सेवक, जो उपरोक्त सरकार द्वारा या मंजूरी से हटाया जा सकता है।

3– किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा

4– उक्त खण्ड 3 में निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व मंजूरी देने में यदि असफल रहता है तो पूर्व मंजूरी (स्वीकृति) राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी। उ0प्र0 संशोधन 1991

- यह शंका उत्पन्न होने पर के अपेक्षित मंजूरी केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा दी जानी चाहिए वहा ऐसी मंजूरी उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी, जो लोक सेवक को अपराध किये जाने के समय उसके पद से उसे हटाने के लिए सक्षम था।

- दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी दी गई मंजूरी में किसी अनियमितता, लोप या (मंजूरी के अभाव के कारण) अथवा गलती के कारण (मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम न हो) के कारण न्यायालय द्वारा सामान्यत: कार्यवाही नही रोकी जायेगी।

धारा 20– लोक सेवक के विरूद्ध धारणाः– धारा 7, 11, या 13 की उपधारा 1 के खण्ड अ या ब के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण में लोक सेवक के विरूद्ध

धारा 12 (धारा 7 एवं 11 के अपराधों का दुष्प्रेरण) के विचारण में देने वाले अभियुक्त के विरूद्ध उपधारणा की जायेगी।

धारा 21ः– अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होनाः– अपनी इच्छा से अपने बचाव के लिए साक्षी बन सकता हैं।

धारा 22 कुछ उपान्तरणों के साथ द0प्र0सं0 का प्रयुक्त होनाः–

अ– धारा 243 द0प्र0सं0 (वारन्ट मामलों में बचाव पक्ष के साक्ष्य के समय) अभियुक्त से अपेक्षा की जायेगी की वह तुरन्त अथवा न्यायालय द्वारा दिये गये समय के भीतर अपने गवाहो की ओर उन दस्तावेजों की, जिन पर निर्भर करना चाहता है एक लिखित सूची दें

ब– धारा 309 की उपधारा 2 के तीसरे परन्तुक के पश्चात निम्न परन्तुक रखा जायेगा–

परन्तु यह कि कार्यवाही को केवल इस आधार पर स्थगित नही किया जायेगा के कार्यवाही के एक पक्षकार द्वारा धारा 397 के अधीन रिवीजन किया गया है।

धारा 370 द0प्र0सं0 में किसी बात के होते हुए भी न्यायाधीश अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में जॉच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा परन्तु अभियुक्त द्वारा मॉग किये जाने पर उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

धारा 24– रिश्वत देने वाले का अपने कथन पर अभियोजित न होना– अधिनियम की धारा 7 से 11 अथवा धारा 13 या 15 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी लोकसेवक के विरूद्ध किसी कार्यवाही में किसी व्यक्ति के इस कथन से कि उस लोक सेवक को वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण या कोई मूल्यवान चीज देने की प्रस्थापना की थी या सहमति दी थी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध (वादी) धारा 12 के अधीन कोई अभियोजन नही हो सकेगा अर्थात वादी के विरूद्ध दुष्प्रेरक के रूप में अभियोजन नही हो सकेगा।

धारा 27– अपील एवं रिवीजन– उच्च न्यायालय के समक्ष किया जायेगा।

धारा 28– इस अधिनियम का अन्य विधियों के परिवर्धन में होना।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

(1961 का 28वां अधिनियम)

धारा–1, संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ– जम्मू और कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में दिनांक 20 मई 1961 से प्रभावशील

धारा–2, दहेज की परिभाषा– इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य है–

क. विवाह के एकपक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिये या

ख. विवाह के किसी पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिये

विवाह करने के सम्बन्ध में(विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी भी समय)प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली या दी जाने के लिये प्रतिज्ञाा की गयी किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है,जिन्हें शरियत लागू होती है मेहर इसके अर्न्तगत नही है।